

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,  
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.6.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शुभम कुमार राय पिता-शोगेन राय ग्राम-लहगारीया पोस्ट-मनमन थाना बारसोई जिला कटिहार	हृदय रोग	₹ 60,000 /- ( साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000 /- ( साठ हजार) का क्रास चेक सं०..... 850109  
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक -735 (14)

पटना, दिनांक -19-6-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,  
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,  
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.6.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुनम देवी पति-रमेश पासी ग्राम-पर्वतचक पोस्ट-बन्नी थाना-राजपुर जिला-बक्सर हौस्पिटल नं०-2026/15	हृदय रोग	₹ 91,000/- (एकानवे हजार) स्वीकृत।
2	कृष्णा कुमार पिता-सुभाष प्रसाद ग्राम-सीकटा बाजार पोस्ट+थाना-सीकटा जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-11680	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,16,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,16,000/- ( एक लाख सोलह हजार ) रुपये का क्रास चेक सं०.....  
850/101.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
(डा० राजधारी रंजन )  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 725 (14)

पटना, दिनांक - 19-6-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*[Signature]*  
निदेशक प्रमुख

D:\Monthly wise new format CM Relief\June 15\10-6-15\sar sundar lal Hos varanasi 10-6-2015.doc

क्र.सं.	नाम	पता	विवरण
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

10/28

...

सं० सं० 14/एम 11-1/14  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.6.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गोरख नाथ पिता-स्व. विजय चन्द्र प्रसाद मोहल्ला-काजीपुरा जानी बाजार पो०+थाना-सासाराम जिला रोहतास सी आर नं०-2014063948	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राम स्लोक चौधरी पिता-अनमोल चौधरी ग्राम+पो०-नया गंज थाना-देसरी जिला-वैशाली सी आर नं०-2015235488	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
3	बालेश्वर प्रसाद पिता-स्व. फकीरा प्रसाद ग्राम-बालाबीगहा नरौनी पोस्ट-नैली थाना-नीमचक बथानी जिला-गया सी.आर नं०-2015048766	गुर्दा रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	करुणा देवी पति-उपेन्द्र सिंह ग्राम-पचमहल्ला पोस्ट-रैली थाना-पंडारक जिला-पटना सी.आर नं०-2015264423	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,35,000 /-

